

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय—आदेश:—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक:- शिविरा-माध्य/ संस्था/सी-2/इति-याणि/इतिहास/ स्थानान्तरण/ 1-653 2020-21 दिनांक:-04.01.2021 के तहत जय शंकर छंगाणी व्याख्याता इतिहास राउमावि, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड-जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि, बडी सिड-जोधपुर किया गया। जय शंकर छंगाणी ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 935/2021 जय शंकर छंगाणी बनाम राज्य सरकार व अन्य में दायर की।

याचिका संख्या 935/2021 में माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 15.01.2021 द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2021 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन में याचिकार्थी के हद तक स्थगन प्रदान किया गया।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में जय शंकर छंगाणी व्या.इतिहास का पदस्थापन राउमावि, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड-जोधपुर किया जाता है। उक्त पालना से उत्पन्न दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के लिए इनके स्थान पर पदस्थापित अशफाक हुसैन कादरी व्या.इतिहास का समायोजन राउमावि, बडी सिड-जोधपुर किया जाता है। उक्त पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सी या. संख्या 935/2021 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 26/2/2021

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-2/याचिकासंख्या 935/जयशंकर/स्थगन/को.के/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड फंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर